बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / ब्रेडा–योजना–01 / 2020 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनान्तर्गत 1 से 500 किलो वाट (125 मेगावाट) पावर क्षमता के राज्य के सरकारी आवास, भवन, गैर सरकारी भवनों, संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित हैं, में राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान तथा वैसे संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित नहीं हैं, में मात्र केन्द्रीय अनुदान के साथ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लान्ट की कुल 937.50 करोड़ (नौ सौ सैंतीस करोड़ पचास लांख) रूपये की स्वीकृत योजना में संशोधन करते हुए (क) सरकारी भवनों के लिए राज्यांश की राशि 25% की जगह शत–प्रतिशत करने एवं (ख) निजी आवासीय भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी / आवासीय कल्याण संघ के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन ब्रेडा के अतिरिक्त वितरण कंपनियों द्वारा करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनान्तर्गत 1 से 500 किलोवाट पावर (125 मेगावाट) क्षमता के राज्य के सरकारी आवास, भवन, गैर सरकारी भवनों, संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित हैं में राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान के साथ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लान्ट की कुल 937.50 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश के रूप में राज्य योजना से ब्रेडा को 241.41 करोड़ रूपये (पर्यवेक्षण शुल्क सहित) की की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

II. इसके उपरान्त भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर की कुल क्षमता को प्राप्त करने के उद्येश्य से 19 फरवरी, 2019 को ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एवं लघु सोलर पावर प्लान्टस प्रोग्राम के चरण–2 को स्वीकृत किया। इस चरण में रूफटॉप सोलर के कार्यान्वयन हेतु बिजली वितरण कंपनियाँ एवं इसके स्थानीय कार्यालयों को नोडल बिन्दु बनाते हुए कार्यक्रम को लागू करने की योजना बनाई गई है, क्योंकि बिजली वितरण कंपनियाँ अंतिम उपयोगकर्ता के साथ सीधे सम्पर्क में है। वे स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं, वितरण नेटवर्क का प्रबन्धन करते हैं तथा छत मालिक के साथ बिलिंग इन्टरफेस भी है, अतः डिस्कॉम रूफटॉप सोलर के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे।

III. भारत सरकार के उपर्युक्त योजना के तहत बिहार डिस्कॉम द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में निजी आवासीय भवनों एवं Group Housing Societies/Residential Welfare Associations (GHS/RWA) के छतों पर कुल 5 मेगावाट (SBPCL-3 MW, NBPDCL-2 MW) रूफटॉप सोलर लगाने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दिनांक–22.11.2019 को दी जा चुकी है। योजना के तहत कार्य समयावधि में पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में राज्य की जनता को रूफटॉप सोलर प्लान्ट के लागत में 40% तक की कमी आयेगी तथा बिहार डिस्कॉम को इन्सेन्टीव भी मिल सकता है।

IV. साथ ही जल–जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार के भवनों यथा प्रखण्ड कार्यालय भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन, विद्यालय भवन, पंचायत सरकार भवन, जिला एवं सत्र

ऊर्जा प्लान्ट के अधिष्ठापन की योजना है। इस हेतु वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय योजना के अनतर्गत केवल 125 मेगावाट की क्षमता का अनुमोदन एवं इस हेतु राज्यांश के रूप में सिर्फ 25% की राशि की ही स्वीकृति प्राप्त है तथा शेष राशि केन्द्रांश के रूप में या लाभार्थी के द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान हैं। इस मामले में केन्द्र की कोई योजना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। साथ ही लाभार्थी सरकारी कार्यालय/विभाग ही है। अतः पूरी 100% की राशि राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जायेगा। तदनुरूप मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय योजनान्तर्गत स्वीकृत 25% के राज्यांश की सीमा को केवल सरकारी भवनों के मामले में 100% करने के फलस्परूप मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना में निम्न संशोधन किया जाता है:–

(क) इस योजना के अन्तर्गत केवल सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्लान्ट लगाने हेतु राज्यांश की राशि 25% की जगह 100% अनुमान्य होगी।

(ख) निजी आवासीय भवनों एवं Group Housing Societies/Residential Welfare Associations (GHS/RWA) के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन बिजली वितरण कंपनियों द्वारा किया जाएगा तथा इस हेतु स्वीकृत योजना राशि ब्रेडा के माध्यम से वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

2. राज्य में सोलर ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा तत्संबंधी "जल जीवन हरियाली अभियान" के तहत नवीकरणीय और गैर पारम्परिक ऊर्जा आधारित प्रणालियाँ ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के उत्थान के लिए बहुआयामी तथा विशेष कर लाभदायक सिद्ध होंगे।

3. उक्त आलोक में मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजनान्तर्गत 1 से 500 किलो वाट (125 मेगावाट) पावर क्षमता के राज्य के सरकारी आवास, भवन, गैर सरकारी भवनों, संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित हैं, में राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान तथा वैसे संस्थागत एवं सामाजिक संस्थान, जो सरकार से वित्त पोषित नहीं हैं, में मात्र केन्द्रीय अनुदान के साथ ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लान्ट की कुल 937.50 करोड़ (नौ सौ सैंतीस करोड़ पचास लाख) रूपये की स्वीकृत योजना में संशोधन करते हुए (क) सरकारी भवनों के लिए राज्यांश की राशि 25% की जगह शत प्रतिशत करने एवं (ख) निजी आवासीय भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी/आवासीय कल्याण संघ के छतों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन ब्रेडा के अतिरिक्त वितरण कंपनियों द्वारा करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भविष्य की योजना लिए दीर्घकालिन वित्तीय प्रबंधन का होना जरूरी है, अर्थात इस योजना के तहत इसके उपरांत स्वीकृतियां नहीं याचित की जायेगी।

5. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष 2810–नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य, समूह शीर्ष–राज्य योजना, लघु शीर्ष–600–ऊर्जा के अन्य स्रोत, उप शीर्ष–0101–अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत, विपत्र कोड–10–2810606000101 विषय शीर्ष–3106 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर ब्रेडा के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0063–बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलमेंट एजेंसी, व्यय शीर्ष–L8448001200063 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200063 में जमा की जाएगी।

7. बिहार रिन्युएबल इनर्जी डेवलमेंट एजेंसी द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या–PLA321/CFMS खाता संख्या–PTSPLA023 से की जाएगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/ब्रेडा–योजना–01/2020 के पृष्ठ संख्या–11/टि0 पर दिनांक–03.03.2020 को प्राप्त है।

10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/ब्रेडा–योजना–01/2020 पृष्ठ संख्या–14/टि0 पर दिनांक–04.03.2020 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/ब्रेडा–योजना–01/2020 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/ब्रेडा–योजना–01/2020 695 /पटना, दिनांक– 04/03/2020

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/निदेशक, ब्रेडा, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।